## States

## टी.एन. को सम्म्य शिक्षा निधि देने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

तमिलनाडु ने सोमवार को शिकायत की थी कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों को 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिपूर्ति उसे चुकानी पड़ रही है, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के 10 जून के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील पर केंद्र को औपचारिक नोटिस जारी किया। इस फैसले में आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति को इस योजना के तहत तमिलनाडु के प्रति केंद्र के वित्तीय दायित्वों से अलग कर दिया गया था। 2009 के अधिनियम के तहत निजी स्कूल प्रबंधनों को आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को उनकी क्षमता के 25% तक प्रवेश स्तर की कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश देना आवश्यक है। राज्य स्कूलों को प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है।

#### संदेद त्यक्त

केंद्र ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि समग्र शिक्षा योजना के तहत "धनराशि के वितरण को लेकर कुछ समस्याएँ हैं" क्योंकि तिमलनाडु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) को लागू करने से इनकार कर दिया था। राज्य ने एनईपी 2020 की त्रिभाषा नीति, जिसमें हिंदी को प्राथमिकता दी गई है, पर संदेह जताया था और इसेक्षेत्रीय भाषाई विविधता के लिए एक चुनौती बताया था।

तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने दलील दी कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 7 के तहत गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए धन मुहैया कराना केंद्र और राज्य दोनों की समवर्ती ज़िम्मेदारी है।

श्री विल्सन ने तर्क दिया, "मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर गलती की कि इन खर्चों के लिए केवल राज्य ही मुख्य रूप से जि़म्मेदार है। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष के लिए पूरी वित्तीय जि़म्मेदारी वहन करने का निर्देश दिया था। उसे केंद्र सरकार को भी योगदान देने का निर्देश देना चाहिए था।"

#### मनमाना कदम

उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा योजना के तहत धन वितरण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने पर केंद्र का ज़ोर मनमाना है। पीठ ने केंद्र को राज्य की याचिका पर चार हफ़्तों में जवाब देने का आदेश दिया।

तमिलनाडु की याचिका में कहा गया है, "यह सर्वविदित है कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजना के ज़रिए अपने राजनीतिक एजेंडे का प्रचार कर रही है। राजनीतिक विचारधारा में मतभेद किसी राज्य सरकार के लिए समग्र शिक्षा योजना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में बाधा नहीं बन सकता। जब तककेंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी, तब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समग्र शिक्षा योजना के प्रावधानों को पूरी भावना से लागू नहीं किया जा सकता।"

### तेलंगाना के लिए शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल

तेलंगाना सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राज्य की विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, 'तेलंगाना राइजिंग 2047' के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में तेलंगाना शिक्षा नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है।

शिक्षा विभाग की सचिव योगिता राणा द्वारा 29 अगस्त को एक ज्ञापन जारी किया गया। समिति से 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इसके कार्यक्षेत्र में एनईपी के प्रावधानों का अध्ययन और उन्हें राज्य के संदर्भ में अनुकूलित करना शामिल है।

# इसरो ने चंद्रयान-3 के आंकड़ों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक समुदाय से प्रस्ताव मांगे

The Hindu Bureau BENGALURU

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर के सभी प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण और उपयोग के लिए अवसर की घोषणा (एओ) जारी की।

चंद्रयान-3 मिशन ने 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी उच्च अक्षांशों पर ऐतिहासिक सॉफ्ट-लैंडिंग हासिल की, जिससे भारत चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया।

इसरो ने कहा, "च्द्रंयान-3 मिशन के वैज्ञानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए, इसरो इस एओ के माध्यम से राष्ट्रीय वैज्ञानिक



चंद्र पाठ: यह अवसर शोधकर्ताओं को चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर सेप्राप्त डेटा का विश्लेषण करने का अवसरप्रदान करेगा। इसरो/एएनआई

समुदाय (इसरो/अंतरिक्ष विभाग के बाहर) से चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर के सभी प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण और उपयोग के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।"

यह एओ भारत के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी संगठनों के सभी संकायों और शोधकर्ताओं के लिए खला है।

इसरों ने कहा, "केवल वे ही प्रधान अन्वेषक (पीआई) के रूप में परियोजना का नेतृत्व करने के पात्र हैं जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले न्यूनतम चार वर्ष की सेवा शेष है। प्रस्ताव में कई सह-पीआई हो सकते हैं, हालाँकि, पीआई प्रस्ताव से संबंधित सभी संचारों का केंद्र बिंदु होगा। प्रस्तावों को संस्थानों के प्रमुखों के माध्यम से उचित आश्वासन के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए।"

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, 2025 है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि यह परियोजना तीन वर्षों के भीतर पूरी हो जाएगी।

बिना किसी अनुवाद गलती वाला संस्करण फ्री में पढ़ने के लिए अभी 8168305050 पर संपर्क करे।